सेवा में,

थाना प्रभारी
गारू थाना, लातेहार

विषयः- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पु0अ0नि0 दिवाकर धोबी, उम्र करीब 31 वर्ष वर्त्तमान में लातेहार थाना में पदस्थापित हूँ। अपर पुलिस अधीक्षक (अभि0) महोदय के द्वारा सूचना मिली कि प्रतिबंधित उग्रवादी सगठन के भाकपा माओवादी के छोटू खरवार, बलराम, नीरज आदि 15-20 की सख्या में हथियार बंद दस्ता सदस्य ग्राम पीरी कुकू चातम के जंगली ईलाको में भ्रमणशील है और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दो टीमों का गठन किया गया जिसमें एक टीम कोबरा के 203 कंपनी के टीम नंबर – 11 के कमांडर सहायक समादेष्टा ए0 किरण कुमार तथा टीम नंबर – 15 के कमांडर सहायक समादेष्टा राजपाल गुरजर के नेतृत्व में तथा दूसरी टीम झारखंड जगुआर के AG –22 का नेतृत्व सहायक समादेष्टा श्री राजीव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अरविन्द कुमार तथा AG – 23 का नेतृत्व सहायक समादेष्टा धर्मेन्द्र कुमार राय एवं पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय कर रहे थे। उक्त AG – 22 एवं AG-23 के साथ मुझे और पु0अ0नि0 रूपलाल प्रसाद लातेहार थाना से छापामारी अभियान में जाने का आदेश प्राप्त हुआ। आदेशानुसार दिनांक – 11.06.2021 की रात्रि करीब – 23.30 बजे दोनों टीमें निर्देशानुसार अलग – अलग जगहों में छापामारी अभियान के लिए प्रस्थान किये। मैं, पु0अ0नि0 रूपलाल प्रसाद, लातेहार थाना, AG-22 प्रभारी सहायक समादेष्टा श्री राजीव कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अरविन्द कुमार तथा AG-23 प्रभारी सहायक समादेष्टा धर्मेन्द्र कुमार राय एवं पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय तथा AG-22 एवं AG-23 के सशस्त्र बलों के साथ प्रस्थान किया।

दिनांक – 12.06.2021 को रात्रि 02.30 बजे उग्रवादियों के विरुद्ध छापामारी अभियान हेतू प्रस्थान किये। सुबह करीब – 08.00 बजे के आसपास ग्राम – पीरी टोला गनईखांड के बरवाटोंगरी से सतर्कता पूर्वक नीचे उतर रहे थे तो नाला के पास 10-12 के संख्या में हथियार बंद लोगों को देखे। हथियार बन्द लोगों को पुलिस पार्टी द्वारा आवाज देकर अपने हथियार रखकर आत्मसमर्पण करने को कहा गया कि हमलोग पुलिस पार्टी के हैं आपलोग अपना – अपना हथियार रखकर आत्मसमर्पण करें। पुनः हथियार बन्द लोगों से उँची आवाज में कहा गया कि हमलोग पुलिस पार्टी के हैं, हथियार रखकर आत्मसर्पण करने को कहा गया परंतु आत्मसमर्पण करने के बजाय हथियार बन्द लोगों के द्वारा पुलिस पार्टी के तरफ फायरिंग की गई। ऐसे स्थिति में पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। जिसके बाद हथियार बन्द लोग गाँव की दिशा में भागने लगे। तत्पश्चात पुलिस पार्टी के द्वारा सतर्कता पूर्वक घेराबन्दी कर हथियार के साथ भाग रहे लोगों को पकड़ने का प्रयास किया गया एवं ईलाके की तलाशी शुरु की गई। तलाशी के क्रम में झारखंड जगुआर की टीम के सदस्यों के द्वारा नाला के आगे हथियार लिये पाँच लोगों को पकड़ा गया एवं अन्य लोग जंगल – झाडी एवं नाला का लाभ उठाकर हथियार लेकर भागने में सफल रहे। पकड़ाये हथियार बंद लोगों से उसका नाम पता पूछने पर अपना – अपना नाम क्रमशः 1. सुकुलदेव सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता – मनहोरी सिंह, 2. रघुनाथ सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता – मनोहरी सिंह, 3. गोविन्दर सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता – सरदार सिंह, 4. राजेश्वर सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष, पिता – स्व0 काली सिंह एवं 5. दिनेनाथ सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता – सुकुर सिंह, सभी सा0 – पीरी, थाना – गारु, जिला – लातेहार बताये। गोली बारी के पश्चात् स्थानीय लोग वहां एकत्रित हो गये। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाहों 1. सोहराई खेरवार, पिता – दयाली खरवार एवं 2. बिनेश्वर सिंह, पिता – स्व रामबरत सिंह, दोनों सा0 – पीरी, थाना – गारु, जिला - लातेहार के समक्ष 1. सुकुलदेव सिंह ने एक देशी बन्दुक जिसके बॉडी में रबड़ बंधा हुआ जिसका बैरल की लं0 – 26.5 इंच, जिसका बॉडी की लं0 – 16 इंच एवं बट की लं0 – 09 इंच कुल बन्दुक की लं0 – 45 इंच जिसमें मार्क A किया, 2. रघुनाथ सिंह ने एक देशी बन्दुक जिसका बैरल की लं0 – 34 इंच, जिसका बॉडी की लं0 – 19 इंच एवं बट की लं0 – 10 इंच कुल बन्दुक की लं0 – 50 इंच

Diwakar

Scanned with CamScanner

जिसमें मार्क B किया, 3. गोविन्दर सिंह ने एक देशी बन्दुक जिसका बैरल की लं0 – 26 इंच, जिसका बॉडी की लं0 – 20 इंच एवं बट की लं0 – 09 इंच कुल बन्दुक की लं0 – 43 इंच जिसमें मार्क C किया, 4. राजेश्वर सिंह ने एक देशी बन्दुक जिसका बैरल की लं0 – 29 इंच, जिसका बॉडी की लं0 – 19 इंच एवं बट की लं0 – 10 इंच कुल बन्दुक की लं0 – 45 इंच जिसमें मार्क D किया एवं 5. दिनेनाथ सिंह ने एक देशी बन्दुक जिसका बैरल की लं0 – 26 इंच, जिसका बॉडी की लं0 – 18 इंच एवं बट की लं0 – 09 इंच कुल बन्दुक की लं0 – 41 इंच जिसमें मार्क E किया, प्रस्तुत किया जिसे विधिवत् प्रस्तुति सह जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। प्रस्तुति सह जप्ती सूची में गवाहो एवं प्रस्तुतकर्ता ने स्वेछा से अपना हस्ताक्षर बना दिया। नाला के आसपास के इलाकों को सर्च किया गया तो पहाड़ के तलहटी के पास एक व्यक्ति का शव पाया गया। पाँचों व्यक्तियों एवं स्थानीय लोगों ने उसकी पहचान ब्रह्मदेव सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता – सुशीलचन्द्र सिंह, सा0 – पीरी, थाना – गारु, जिला लातेहार के रूप में किया। वहां उपस्थित दो स्वतंत्र प्रतीत होते गवाहों 1. सोहराई खेरवार, पिता – दयाली खरवार एवं 2. बिनेश्वर सिंह, पिता – स्व रामबरत सिंह, दोनों सा0 – पीरी, थाना – गारु, जिला - लातेहार के समक्ष विधिवत् मृतक ब्रह्मदेव सिंह 1. शव के पास एक चितकबरा रंग का फुलपैन्ट जिसे मार्क – F अंकित किया गया, 2. शव के पास एक ब्लु रंग का बैग जिसको मार्क – G अंकित किया गया एवं बैग के अन्दर प्लास्टिक का उजला थैला जिसमें मार्क G - 1 अंकित किया गया उसके अन्दर स्टील का एक कटोरा जिसे G - 2 मार्क किया गया, एक छोटा शीशी में थोड़ा से पीला पाउडर जिसे G - 3 मार्क किया गया तथा लोहे का छर्रा करीब 130 अदद जिसे G – 4 मार्क किया गया, 3. शव के उतर में करीब 07 कदम की दूरी पर एक देशी बन्दुक जिसके बैरल की लंबाई करीब 30 इंच, जिसके बट की लंबाई करीब 10 इंच, जिसका बॉडी की लंबाई करीब 19 इंच, बन्दुक की कुल लंबाई करीब 46 इंच है जिसे मार्क – H अंकित किया गया, 4. शव के पश्चिम में करीब 5 कदम के दूरी पर एक देशी बन्दुक जिसके बैरल की लंबाई करीब 34 इंच, जिसके बट की लंबाई करीब 9 इंच, जिसका बॉडी की लंबाई करीब 17 इंच, बन्दुक की कुल लंबाई करीब 50 इंच है जिसमें मार्क – I अंकित किया गया, बरामद हुआ। उक्त बरामद सामानों को उक्त गवाहों के समक्ष विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जिस जप्ती सूची पर उक्त दोनों गवाहों ने स्वेच्छा से अपना – अपना हस्ताक्षर बना दिये।

पकड़ाये 1. सुकुलदेव सिंह, 2. रघुनाथ सिंह, 3. गोविन्दर सिंह, 4. राजेश्वर सिंह एवं 5. दिनेनाथ सिंह से प्रस्तुत एवं बरामद हथियारों तथा अन्य सामानों के संबंध में वैद्य कागजातों का मांग करने एवं पूछताछ करने पर कोई वैद्य कागजात प्रस्तुत नहीं किये एवं बताये कि "हमलोग गाँव का नेम सरहुल के अवसर पर जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने हेतू देशी बन्दूक के साथ जमा हुए थे एवं अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे"।

मुठभेड़ की सूचना AG- 22 एवं AG – 23 प्रभारियों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय, लातेहार एवं वरीय पदाधिकारी को दे दी थी। समय करीब 13.30 बजे प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी श्री मोहनलाल मरांडी कार्यपालक दण्डाधिकारी, लातेहार, श्री शंभु राम अंचलाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्री दिलु लोहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरवाडीह, अमित कुमार गुप्ता पु0नि0 सह थाना प्रभारी, लातेहार, रंजीत कुमार यादव, थाना प्रभारी गारु, विश्वजीत तिवारी, थाना प्रभारी छिपादोहर एवं सी0आर0पी0एफ0 – 214 सरयु पिकेट के सशस्त्र बल के साथ पहुँचे। तत्पश्चात् उक्त 1. सुकुलदेव सिंह, 2. रघुनाथ सिंह, 3. गोविन्दर सिंह, 4. राजेश्वर सिंह, 5. दिनेनाथ सिंह एवं 6. मृतक ब्रह्मदेव सिंह का विधिवत् हाथ का धोवन (GSR) दो स्वतंत्र गवाहों 1. सोहराई खेरवार, पिता – दयाली खरवार एवं 2. बिनेश्वर सिंह, पिता – स्व रामबरत सिंह, दोनों सा0 – पीरी, थाना – गारु, जिला - लातेहार के समक्ष लिया गया तथा उसे विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त की गई। जिस जप्ती सूची पर उक्त दोनों गवाहों ने स्वेच्छा से अपना – अपना हस्ताक्षर बना दिया। श्री मोहनलाल मरांडी कार्यपालक दण्डाधिकारी लातेहार एवं श्री शंभु राम अंचलाधिकारी सह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा मृतक ब्रह्मदेव सिंह का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया। मृतक ब्रह्मदेव सिंह के शव को पोस्टमार्टम एवं घायल दिनेनाथ सिंह का ईलाज हेतू सदर अस्पताल लातेहार भेजा गया।

मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में AG – 23 के तरफ से 1. पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 49 से दो (02) राउण्ड, 2. हव0 - 01 संतोष छेत्री के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 20 से तीन (03) राउण्ड, 3. आ0 – 1441 सन्नी कुमार के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 359 से चार (04) राउण्ड,

Qpraba

Scanned with CamScanner

4. आ0 – 2113 शक्ति करमाली के द्वारा अपने इंसास हथियार बट नं0 – 809 से चार (04) राउण्ड, 5. आ0 – 2498 रंजीत कुमार सिंह के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 350 से चार (04) राउण्ड, 6. आ0 – 1448 बलराम महतो के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 109 से तीन (03) राउण्ड, 7. आ0 – 1480 अंकित तिवारी के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 247 से तीन (03) राउण्ड, 8. आ0 – 378 मनोज गोराई के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 163 से चार (04) राउण्ड, 9. आ0 – 1405 अरविन्द कुमार महतो के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 181 से तीन (03) राउण्ड, 10. आ0 – 1472 आशीष कुमार के द्वारा अपने इंसास हथियार बट नं0 – 662 से तीन (03) राउण्ड, 11. आ0 – 862 राहुल कुमार के द्वारा अपने इंसास हथियार बट नं0 – 334 से चार (04) राउण्ड, AG - 22 के तरफ से 12. आ0 – 2159 अभिषेक देवगम के द्वारा अपने AKM हथियार बट नं0 – 34 से एक (01) राउण्ड एवं 13. आ0 – 841 संतोष उराँव के द्वारा अपने इंसास LMG हथियार बट नं0 – 31 से दो (02) राउण्ड, कुल - 40 राउण्ड की फायरिंग की गई। खाली खोखा की काफी तलाश किया किन्तु घटनास्थल पहाडी एवं जंगली क्षेत्र होने के कारण कोई खोखा बरामद नहीं हुआ।

मेरा दावा है कि अवैध हथियार रखना, अवैध हथियार के साथ एकत्रित होना तथा पुलिस बल को देखकर पुलिस बल पर गोली चलाना एक संज्ञेय एवं दण्डनीय अपराध है।

अतः मैं 1. सुकुलदेव सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता – मनहोरी सिंह, 2. रघुनाथ सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता – मनोहरी सिंह, 3. गोविन्दर सिंह, उम्र करीब 27 वर्ष, पिता – सरदार सिंह, 4. राजेश्वर सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष, पिता – स्व0 काली सिंह, 5. दिनेनाथ सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता – सुकुर सिंह, 6. ब्रह्मदेव सिंह, उम्र करीब 25 वर्ष, पिता – सुशीलचन्द्र सिंह सभी सा0 – पीरी, थाना – गारु, जिला – लातेहार एवं अन्य अज्ञात को धारा – 147/148/149/307/353 भा0द0वि0 एवं 25(1-B)a/27/35 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोपित करता हूँ। उक्त घटना में बरामद सामानों को जप्त करने के बाद छान बीन एवं आवश्यक कार्रवाई तथा अभियान समाप्ति के पश्चात् आज दिनांक – 13.06.2021 को पुलिस पार्टी के साथ थाना आकर घटना के संबंध में जप्त शीलबन्द सामानों एवं जप्ती सूची के साथ प्रतिवेदन समर्पित करता हूँ ताकि अग्रतर विधिसम्वत् कार्रवाई किया जा सके।

हस्ताक्षर अपठनीय
13/06/2021
पु॰ अ॰ नि॰
(लातेहार)

Received and Registered Garu P.S Case No. 24/2021 dated 13/06/21 U/s 147/148/149/307/353 I.P.C & 25(1-B)a/27/35 Arms Act. Inspector Chandra Shekhar Chaudhary C.I Barwadih will please investigate this case.

13/06/21
O/c Garu P.S
Latehar

Scanned with CamScanner